

रिश्वत लेने के आरोपी इनकम टैक्स के दो अधिकारियों को चार-चार साल की सजा

पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और पूर्व आईटीओ शैलेंद्र भंडारी को सीबीआई ने मार्च 2015 में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा था

जोधपुर, (कासं)। सीबीआई मामलात की अदालत ने पंद्रह लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में इनकम टैक्स विभाग के पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और पूर्व आईटीओ शैलेंद्र भंडारी को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज भूपेंद्र सनाइय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। वहीं बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले ज्वेलर को बरी कर दिया।

जानकारी के अनुसार मामला 31 मार्च 2015 का है। बाड़मेर के व्यापारी की शिकायत के बाद पवन कुमार शर्मा, शैलेंद्र भंडारी और ज्वेलर चंद्रप्रकाश कट्टा को गिरफ्तार किया गया था। बाड़मेर के व्यापारी किशोर जैन ने सीबीआई को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि आयकर विभाग ने उसकी टैक्स देनदारी को मूल 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12 करोड़

- सीबीआई मामलात की अदालत ने 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
- सीबीआई मामलात की अदालत ने बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले ज्वेलर को बरी किया

रुपए कर दिया था। इस मामले को निपटाने के लिए विभाग के अधिकारियों ने शुरुआत में 25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बाद में बातचीत के बाद 23 लाख रुपए तय हुईं। किशोर जैन की शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई। तब 31 मार्च 2015 को जौहरि चंद्रप्रकाश कट्टा के शोरूम पर शैलेंद्र भंडारी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ा गया। यह रकम मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा की तरफ से ली जा रही थी। इस ऑपरेशन में सीबीआई ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की

मामला दर्ज किया था। आरोप था कि विभाग के अफसरों ने किशोर जैन से उसकी कंपनी के वर्ष 2012-13 के आयकर असेसमेंट को सुलझाने के लिए 23 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

गौरतलब है कि व्यापारी किशोर जैन के यहां बाड़मेर के असिस्टेंट कमिश्नर ने आयकर सर्वे कराया था। गलत ढंग से पांच करोड़ रुपए डिमांड निकाल दी। जॉइंट कमिश्नर जय सिंह से शिकायत की तो उन्होंने उल्टा व्यापारी और उसके क्लाइंट के खाते सीज करा दिए थे।

व्यापारी ने कमिश्नर अपील में मामला उठाया था। फैसला उसी के पक्ष में आया था। इसके बावजूद आयकर अधिकारियों ने कारोबारी के खाते नहीं खुलने दिए थे। लगातार चीफ कमिश्नर से मिलने का दबाव बनाया गया था। व्यापारी जोधपुर में तत्कालीन आयकर अधिकारी और चीफ कमिश्नर से मिला था। उससे 25

लाख रुपए घूस मांगी थी, जिसमें 23 लाख रुपए देना तय हुआ। अधिकारियों ने पैसा बिचौलिया ज्वेलर के यहां पहुंचाने को कहा था। इसके बाद व्यापारी ने मामला सीबीआई तक पहुंचाया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने बारीकी से की थी, जिसमें यह साबित हुआ कि दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ज्वेलर्स से अवैध राशि ली। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें चार-चार साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले में बिचौलिया ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा को दोषमुक्त कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पीके शर्मा और शैलेंद्र भंडारी ने भ्रष्टाचार के जघन्य कृत्य किए, जो सार्वजनिक विश्वास के लिए गंभीर चोट है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर सख्ती आवश्यक है।

पिकअप-ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में बालिका की मौत, 21 जने घायल

कोटा, (निस्)। सिमलिया थाना इलाके के नेशनल हाइवे नंबर-27 पर पिकअप चालक ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी ट्रॉली पलटा खा गई, जिसके नीचे दबने से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार बालिका की मौत हो गई एवं 21 जने घायल हो गये।

जानकारी के अनुसार माली समाज के लोग कोटा के चारगांव, डाबर बमोरी व अन्य गांव से देवताओं की रसोई लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से झालावाड़ के मऊ महाराज जा रहे थे, तभी सीमलिया थाना इलाके में चीसा के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में घायलों

को कोटा के एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां घायल बालिका ने दम तोड़ दिया। सीमलिया थानाधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 से 40 व्यक्ति बैठे थे, यह नेशनल हाइवे-27 पर गढ़पान से बारां रोड की तरफ जा रही थी। पीछे से आई पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। जिससे ट्रॉली पलट गई और सवारियां दब गईं। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों ने सवारियां निकाली और एंबुलेंस से कोटा के एमबीएस अस्पताल भेजा। थानाधिकारी ने बताया

कि हादसे में डाबर बमोरी निवासी 11 वर्षीय रश्मि पुत्री शुभकरण माली की मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप को डिटेन कर लिया है। मौके से पिकअप चालक फरार हो गया। मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश जारी है। हादसे में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार घायलों में कन्हैया लाल, बाबूलाल, सुगना बाई, मनभर, शिवनंदन, बन्नी लाल, कुंज बिहारी, चेतन, विशाल, विहान, दिव्यंशी, विमला बाई, सीता, निशा, लक्ष्मी, विमला, राजेश व मिन्डी है।

दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लगी, एक चालक जिंदा जला

बीकानेर, (निस्)। यहां भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दो ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई। इसमें एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जला गया। हादसा लूकरणसर के कालू थान क्षेत्र का है। हादसे में ड्राइवर केबिन में फंस गया था, जिसकी वजह से वह जिंदा जल गया। कालू थानाधिकारी धर्मवीर ने

बताया कि भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मनाड कोलायत निवासी पैमराम साइड में ट्रक लेकर खड़ा था। इस दौरान पीछे से एक अन्य खिखरा निवासी ओमप्रकाश स्पीड में आया और पैमराम के ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। थाना अधिकारी ने बताया कि एक्स्रीडेंट के बाद

ओमप्रकाश केबिन में फंस गया। इस दौरान उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से ओमप्रकाश का शव बाहर निकाला। वहीं पैमराम को लूकरणसर हॉस्पिटल लाया गया।

ट्रक वालों से ठगी मामले में नकली सेल्स ऑफिसर गिरफ्तार

आरोपी व्यक्ति पूर्व सरपंच रह चुका है, इस समय आरोपी की मां सरपंच है

भरतपुर, (निस्)। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने एक नकली सेल्स ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति पूर्व सरपंच रह चुका है। इस समय आरोपी की मां सरपंच है। आरोपी आगरा जयपुर नेशनल हाइवे पर सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ट्रक वालों से ठगी करता था।

आरोपी के खिलाफ एक ट्रक ड्राइवर ने एफआईआर करवाई है। आरोपी का दो दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था जो वायरल हो रहा था। आरोपी को कुछ ट्रक वालों ने पकड़ लिया था जब आरोपी से पूछा गया कि वह किस विभाग से है तो, वह तरह-तरह के बहाने बनाता नजर आ रहा है। दो दिन पहले आरोपी का वीडियो सामने आया था। ग्रामीण सीओ आकांशा चौधरी ने बताया कि दो दिन पहले एक वीडियो सामने आया था। वह वीडियो मलाह गांव इलाके का था जिसमें आरोपी महावीर यादव निवासी गुरिया थाना जुरहारा जिला डींग ट्रक वालों से

- आगरा-जयपुर नेशनल हाइवे पर ट्रक वालों को शिकार बनाता था, आरोपी के खिलाफ एक ट्रक ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी
- आरोपी का दो दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था जो वायरल हो रहा था, आरोपी को कुछ ट्रक वालों ने पकड़ लिया था
- मामले को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आरोपी ने अभी तक कितने लोगों से ठगी की है

ठगी कर रहा था तो, उसे कुछ ट्रक वालों ने पकड़ लिया। वीडियो में ट्रक वाले महावीर से पूछ रहे हैं वह किस विभाग से है, जिस पर महावीर तरह-तरह के बहाने नजर आ रहा है। बाद में महावीर को पकड़ लिया गया। आरोपी को कुछ ट्रक वालों ने पकड़ लिया था जब आरोपी से पूछा गया कि वह किस विभाग से है तो, वह तरह-तरह के बहाने बनाता नजर आ रहा है। दो दिन पहले आरोपी का वीडियो सामने आया था। ग्रामीण सीओ आकांशा चौधरी ने बताया कि दो दिन पहले एक वीडियो सामने आया था। वह वीडियो मलाह गांव इलाके का था जिसमें आरोपी महावीर यादव निवासी गुरिया थाना जुरहारा जिला डींग ट्रक वालों से

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। लोहावट पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फलोदी पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि गत 18 सितंबर को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर वायरल करने की धमकी दी गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित की। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अचलाराम और कालुराम को गिरफ्तार कर लिया।

हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शेरगढ़ पुलिस ने गत 19 सितंबर को आपसी कहासुनी के बाद पिता की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिता और पुत्र के बीच छोटी सी बात पर विवाद हुआ था तैश में आकर श्रवण ने अपने पिता रूपाराम मेघवाल पर लाठी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद वह घटना छुपाकर कम्परे में बंद हो गया। अगले दिन बीस सितंबर को वह पत्नी की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा दिलाने जोधपुर गया और फिर ससुराल फलसूंड चला गया फिर 22 सितंबर को वापस शेरगढ़ लौटने पर पिता के बारे में पूछताछ होने पर वह धरवाया और फलसूंड चला गया।

कोठारी बांध में महिला की लाश मिली

बीलवाड़ा, (निस्)। जिले के नंदराय क्षेत्र में कोठारी नदी पर बने कोठारी बांध में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, बाद में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोटड़ी व बिगोद थाना पुलिस मुख्य पर पहुंची। बताया जा रहा है कि महिला का शव करीब 5 से 6 दिन पुराना हो सकता है।

मौके पर पहुंची शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। सहायक उप निरीक्षक कैलाश प्रजापत ने बताया कि महिला के शव को बांध के पानी से बाहर निकाल कर शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा। लाश मिलने की खबर क्षेत्र में फैलने से आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बांध पर जमा हो गई।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर, जिला - पाली

क्रमांक: न.पा.सु./विकास/ई-निविदा/2025-26/5953 दिनांक 23.09.2025
ई-निविदा 11/2025-26 सूचना :-
 नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर की ओर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा द्वारा 01 विकास कार्य की कुल लागत 15.00 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की जाती है। आर्थिक अथवा पूर्णक निविदा स्वीकार/अस्वीकृत करने का अधिवार ई-निविदा स्थल पर ऑफिसर की होगी। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्तें कार्यालय में एवं विभाग की वेब साईट www.sppp.raajasthan.gov.in एवं www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी व पढ़ी जा सकती है।
 लिनक UBN NO. DLB2526WSOB19444
 निविदा की सूचना के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में ई-निविदा प्राप्त की जायेगी। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट <http://www.sppp.raaj.gov.in> पर देखी जा सकती है।
 UBN NO. DLB2526WSOB19328

कार्यालय नगर पालिका सूरैठ जिला करौली (राज.)

क्रमांक- 186 दिनांक- 18.09.2025
ई-निविदा सूचना
 नगरपालिका सूरैठ में निर्माण कार्य/विकास कार्य के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगमों/नगर विकास निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल व केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/उडक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ए.ए.ए.श्री. श्रेणियों के संवेदकों/फर्मों के समकक्ष हों, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में ई-निविदा प्राप्त की जायेगी। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट <http://www.sppp.raaj.gov.in> पर देखी जा सकती है।
 UBN NO. DLB2526WSOB19328
 अथवा www.sppp.raaj.gov.in पर देखा जा सकता है।
 राज.संवाद/सी/25/10853 नगर पालिका सूरैठ अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरैठ

नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक-निर्माण शाखा/निविदा/2025/2627-29 दिनांक: 23.09.2025
निविदा सूचना
 नगर पालिका रतनगढ़ की ओर से नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रश्न में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 24.09.2025 से दिनांक 06.10.2025 शाम 6 बजे तक अनुसार डाऊनलोड तथा अपलोड एवं दिनांक 07.10.2025 को सांघ 5 बजे खोली जायेगी। समस्त कार्यों के लिए पर्येश राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नगर पालिका रतनगढ़ में पंजीकृत सखम संवेदकों द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभागों में पंजीकृत सखम संवेदकों द्वारा 2 प्रतिशत राशि का डी.डी. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रतनगढ़ के नाम व रुपये 500/- का बालान "M.D. RISL Jaipur" के नाम जयपुर में देय से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व नगर पालिका रतनगढ़ में प्रस्तुत करना होगा।
 निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.sppp.raaj.nic.in <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
 NIB code-DLB2526A6325
 UBN:-DLB2526WSOB19476, DLB2526WSOB19479, DLB2526WSOB19483
 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रतनगढ़

नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक-निर्माण शाखा/निविदा/2025/2665-67 दिनांक: 23.09.2025
निविदा सूचना
 नगर पालिका रतनगढ़ की ओर से नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रश्न में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 25.09.2025 से दिनांक 07.10.2025 शाम 6 बजे तक अनुसार डाऊनलोड तथा अपलोड एवं दिनांक 08.10.2025 को सांघ 5 बजे खोली जायेगी। समस्त कार्यों के लिए पर्येश राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नगर पालिका रतनगढ़ में पंजीकृत सखम संवेदकों द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभागों में पंजीकृत सखम संवेदकों द्वारा 2 प्रतिशत राशि का डी.डी. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रतनगढ़ के नाम व रुपये 500/- का बालान "M.D. RISL Jaipur" के नाम जयपुर में देय से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व नगर पालिका रतनगढ़ में प्रस्तुत करना होगा।
 निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.sppp.raaj.nic.in <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
 NIB code-DLB2526A6333
 UBN:- DLB2526WSOB19492, DLB2526WSOB19493, DLB2526WSOB19494, DLB2526WSOB19495, DLB2526WSOB19496, DLB2526WSOB19498, DLB2526WSOB19499, DLB2526WSOB19500, DLB2526WSOB19501, DLB2526WSOB19502, DLB2526WSOB19503, DLB2526WSOB19504, DLB2526WSOB19505, DLB2526WSOB19506, DLB2526WSOB19507, DLB2526WSOB19508, DLB2526WSOB19509
 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रतनगढ़

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. MANGROL
 File No. 950 Date: 18.09.2025
Notice Inviting Bid
 Bid for "BA-17.00/214.01/2025-26 Per Constituency Rs. 10.00, 15.00 Cr. NP/ML Road Work" NIT No. 11/2025-26 are invited from interested bidders up to 6.00 PM on 06.10.2025. Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raaj.nic.in>) of the state departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 289.41 lacs.
 UBN NO. 1. PWD2526WSOB12647, 2. PWD2526WSOB12648, 3. PWD2526WSOB12651, 4. PWD2526WSOB12652, 5. PWD2526WSOB12654, 6. PWD2526WSOB12655, 7. PWD2526WSOB12658

(Laxmi Narayan Meena)
 Executive Engineer
 PWD Division Mangrol
 DIPRC/14076/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत
 क्रमांक-1820-37 दिनांक-23.09.2025
Notice Inviting Bid: 37-38/2025-26
 Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 06.10.2025 at 14.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.raajasthan.gov.in & <http://eproc.raajasthan.gov.in> of the State. The approximate value of the procurement of Rs. 133.16 Lacs and maximum value of single work in this procurement is 78.53 Lac.
 NIT NO. 37
 UBN NO. PHE2526WSOB06931, PHE2526WSOB06932
 जल सौकरिता हेतु इन्क्रीट बरत कर (एनएम कुमाना)
 अधिशाषी अभियंता जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड निवाई
 क्रमांक-3070-79 दिनांक-19.09.2025
निविदा सूचना संख्या-23/2025-26 खण्ड निवाई
 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड निवाई में संरक्षण निर्माण हेतु उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/उडक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" एवं "एच" श्रेणी, "डी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में प्राय की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.eproc.raaj.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
 NIB CODE: PWD2526A3340, 1. PWD2526WSOB12466, 2. PWD2526WSOB12469, 3. PWD2526WSOB12473, 4. PWD2526WSOB12476, 5. PWD2526WSOB12477, 6. PWD2526WSOB12478

DIPRC/13997/2025
 अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड निवाई

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर
 Near Collector Office, Bikaner (Rajasthan) Fax:- 91-151-2226012, Phone:-91-151-2226012, 91-151-2226013
 E-Mail Address: uitbikaner@yahoo.com in Web Site: urban.raajasthan.gov.in/uitbikaner
 क्रमांक- बीकानेर/बीकानेर/अ.सौ/वि.सू/25/26/6217 दिनांक- 24/09/2025
ई-विड सूचना संख्या 34-I-II-III/2025-26
 बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर की ओर से अखिल निर्माण हेतु उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा करने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने प्राप्त करने व खोलने की दिनांक एवं निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
 (UBN No. :- FTB2526WSOB00220-27)
 का.संवाद/सी/25/10902 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय नगरपालिका टोडाभीम जिला-करौली (राज.)
 क्रमांक/नयाटी/2025-26/1262 दिनांक-20.09.2025
निविदा सूचना
 पालिका टोडाभीम में कार्य की निविदा NIB CODE- DLB2526A6260 यूवीएन नं. DLB2526WSOB19331, DLB2526WSOB19332, DLB2526WSOB19333, DLB2526WSOB19334, DLB2526WSOB19336, DLB2526WSOB19337, DLB2526WSOB19338, DLB2526WSOB19339, DLB2526WSOB19340, DLB2526WSOB19342 आमंत्रित की गई है। उक्त निविदा सूचना एवं शर्तें राजस्थान लोक उपागम पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.raajasthan.gov.in एवं www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
 राज.संवाद/सी/25/10864 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका टोडाभीम

1300 प्रिंसिपल का बिना आवेदन ट्रांसफर किया, देने होंगे भत्ते

बीकानेर, (निस्)। जयपुर सहित राज्यभर के सैकड़ों टीचर्स को दो सौ से पांच सौ किलोमीटर लंबी दूरी तय करके अलग नए स्थान पर काम करना होगा। ये किसी के लिए सजा साबित हुई है तो किसी के लिए राहत भरा आदेश है। जानकारी के अनुसार विभाग को उन टीचर्स को यात्रा सहित अन्य भत्ते देने पड़ रहे हैं, जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन ही नहीं किया था। ऐसे प्रिंसिपल को हटाकर डिजायर वाले प्रिंसिपल को लगाया गया है। इस तबादला आदेश में राजस्थान के उन जिलों से भी प्रिंसिपल हट गए हैं, जहां से आमतौर पर ट्रांसफर अन्य जिलों में नहीं होते। डाकं जोन कहे जाने वाले पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पोस्टिंग करवाने के बाद प्रिंसिपल सहित अन्य टीचर्स वापस अपने गृह जिलों में चले जाते हैं। ऐसे में यहां पद फिर से रिक्त रह जाते हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालौर, सिराही, बीकानेर, डूंगरपुर, चले गए। वहीं अन्य जिलों से जैसलमेर में भी तबादले हुए। इससे ये संख्या बढ़कर 85 तक पहुंची, लेकिन 11 स्कूल रिक्त हुए। प्रिंसिपल के रह गए। कमोबेश ऐसे ही हालात अन्य जिलों के भी हैं।

अगर किसी प्रिंसिपल का सरकार बिना आवेदन किए ट्रांसफर करती है तो एक लाख रुपए का खर्च आता है

प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ है। यहां से बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को फिर से उनके गृह जिलों में भेज दिया गया है, जिससे सोमावती जिलों में स्कूल फिर से खाली हो गए। जैसलमेर में कुल 96 प्रिंसिपल के ट्रांसफर हुए। इससे यहां 11 स्कूलों में अब प्रिंसिपल नहीं रहे। दरअसल, जैसलमेर से जैसलमेर में तो महज बीस ही ट्रांसफर हुए हैं। शेष 74 प्रिंसिपल को जैसलमेर से अन्यत्र भेज दिया गया। सिफारिश और डिजायर के आधार पर ये प्रिंसिपल अपने-अपने गृह जिलों में

चले गए। वहीं अन्य जिलों से जैसलमेर में भी तबादले हुए। इससे ये संख्या बढ़कर 85 तक पहुंची, लेकिन 11 स्कूल रिक्त हुए। प्रिंसिपल के रह गए। कमोबेश ऐसे ही हालात अन्य जिलों के भी हैं। बांसवाड़ा को इस ट्रांसफर लिस्ट से फायदा हुआ है। यहां से 72 प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ लेकिन 79 की पोस्टिंग हुई। 92 में से 53 को तो बांसवाड़ा में ही इश्चर-उधर किया गया था। वहीं अन्य जिलों से भी 39 प्रिंसिपल को बांसवाड़ा में लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से तीन प्रिंसिपल का ट्रांसफर साढ़े छह सौ किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में किया गया है। कभी डाकं जोन में रहे बाड़मेर को भी इस ट्रांसफर लिस्ट से फायदा हुआ है। दरअसल, यहां से 102 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें 37 को बाड़मेर में ही लगाया गया, लेकिन 65

प्रिंसिपल बाड़मेर छोड़ अपने गृह जिलों में या फिर सुविधाजनक जिलों में चले गए। वहीं बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को अन्य जिलों से बाड़मेर भेजा गया है। इसमें सर्वाधिक नागौर से बीस प्रिंसिपल साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर बाड़मेर भेजे गए हैं। चार प्रिंसिपल को तो अनवर से बाड़मेर भेजा गया है। दोनों जिलों के बीच सात सौ किलोमीटर की दूरी है। करीब चार सौ किलोमीटर दूर अजमेर से भी सात प्रिंसिपल को बाड़मेर भेजा गया है। अगर किसी प्रिंसिपल को सरकार बिना आवेदन किए ट्रांसफर करती है तो एक लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे प्रिंसिपल को नए पोस्टिंग स्थल पर जाने के लिए दस दिन की छुट्टी के रूप, चार जनों के टिकट, करीब बीस हजार रुपए ट्रक ट्रांसपोर्ट के रूप देने पड़ते हैं। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े खर्च की मिलानकर एक लाख रुपए का सरकार को मुगतान करना पड़ता है।

भतीजे से यौन-उत्पीड़न के आरोप में चाची गिरफ्तार

नाबालिग बात नहीं मान रहा था तो रेप केस किया, पुलिस जांच में महिला की कहानी झूठी निकली

बीकानेर, (निस्)। यहां एक चौकाने वाली मामला सामने आया है। पुलिस ने चाची को नाबालिग भतीजे से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने जिले के नाल थाना में नाबालिग के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। पुलिस जांच में महिला की कहानी झूठी निकली। वहीं, 25 सितंबर को नायासर थाना में नाबालिग के मां-बाप ने यौन-उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

नायासर थानाधिकारी लक्ष्मण मुहल्ला नाबालिग का 24 वर्षीय शादीशुदा शिकारिशा और डिजायर के आधार पर ये प्रिंसिपल अपने-अपने गृह जिलों में

लेिए रेप केस कर दिया। जांच में महिला की कहानी झूठी निकली। वहीं, 25 सितंबर को नाबालिग के परिवार ने नाल थाने महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया। उन्होंने यौन उत्पीड़न के साथ नाबालिग के रूप-मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला और नाबालिग रिश्ते में चाची-भतीजा है।

चोरी का ट्रैलर जल, दो जने गिरफ्तार

टोंक, (निस्)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्र सिंह भाटी के सुपरविजन में अरविन्द कुमार वृत्ताधिकारी पीपलू व बरोनी थानाधिकारी बृजेन्द्र सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना में दर्ज प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ व निशानदेही के बाद चोरी किये गये एक ट्रैलर को कोटा जिले की बोर्डर पर गरोट रोड दिल्ली मुम्बई हाईवे के नीचे से बरामद किया गया। इस दौरान गिरफ्तार किये गये दो आरोपी आशाराम पुत्र श्रीश्रील